



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2017/चैत्र 2, 1939

No. 838]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2017/CHAITRA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

(आयकर)

का.आ. 935(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार के तीसरे संशोधनकारी प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद तीसरा प्रोटोकॉल कहा गया है) पर नई दिल्ली में 30 दिसंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, तीसरा प्रोटोकॉल 27 फरवरी, 2017 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि तीसरे प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के अनुसार, तीसरे प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न तीसरे प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 18/2017/ 500/139/2002-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध

“आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार का

तीसरा संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार जिस पर 24 जनवरी, 1994 को भारत में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे भारत में 29 जून, 2005 को हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद “2005 का प्रोटोकॉल कहा गया है”) से तथा 24 जून, 2011 को हस्ताक्षरित दूसरे प्रोटोकॉल से संशोधित किया गया था, (जिसे इसके बाद “करार” कहा गया है) को संशोधित करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल निम्न करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

1. अनुच्छेद 9 का मौजूदा पैराग्राफ - करार के संबद्ध उद्यम को पैराग्राफ 1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा; तथा
2. कथित पैराग्राफ 1 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा:

“2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।”

अनुच्छेद 2

इस करार के अनुच्छेद 13 - पूंजीगत लाभ को 1.4.2017 के प्रभाव से संशोधित किया जाएगा:

- (i) पैराग्राफ 4 का विलोपन करके; और
- (ii) निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़कर:

“4क. किसी कंपनी में 01 अप्रैल, 2017 के पूर्व अधिग्रहित शेयरों के हस्तांतरण से अभिलाभ, जो संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगा जिसमें हस्तांतरणकर्ता एक निवासी है।

4ख. 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किसी कंपनी में जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

4ग. तथापि, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4ख में संदर्भित अभिलाभ पर जो 01 अप्रैल, 2017 से शुरू होने तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान हुआ है, उस राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसकी वह कंपनी, जिसके शेयरों को कर दर पर एक निवासी को हस्तांतरित किया जा रहा है, एक निवासी है जो उस राज्य में ऐसे अभिलाभों पर लागू कर दर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2, 3, 4क तथा 4ख में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।”

अनुच्छेद 3

करार को अनुच्छेद 24 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़कर 1 अप्रैल, 2017 से संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 24क

1. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क या पैराग्राफ 4ग के लाभों का हकदार नहीं होगा, यदि इसके कार्य ऐसे तरीके से प्रबंधित थे जिसका मुख्य उद्देश्य इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क या पैराग्राफ 4ग, जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाना था।

2. कोई फर्जी कंपनी जो खुद को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने का दावा करती है, वह इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क या पैराग्राफ 4 ग के लाभों की हकदार नहीं होगी। कोई फर्जी कंपनी निवासी की परिभाषा में आने वाली वह वैधानिक सत्ता है जिसका उस संविदाकारी राज्य में नगण्य या शून्य कारोबार प्रचालन हो या वास्तविक और लगातार कारोबारी गतिविधियां न की गयी हों।

3. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को फर्जी कंपनी माना जाता है यदि उस संविदाकारी राज्य में प्रचालनों पर इसका वार्षिक व्यय, यथा मामला सिंगापुर में S\$ 200,000 या भारत में 5,000,000 रूपए से कम हो:

(क) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 24 महीने की अवधि में 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए;

(ख) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4ग के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीने की अवधि के लिए।

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को फर्जी कंपनी नहीं माना जाता यदि:

(क) वह किसी संविदाकारी राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो; या

(ख) उस संविदाकारी राज्य में प्रचालनों पर इसका वार्षिक व्यय, यथा मामला सिंगापुर में S\$ 200,000 या भारत में 5,000,000 रूपए के बराबर या इससे अधिक हो:

(i) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4क के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 24 महीने की अवधि में 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए;

(ii) इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4ग के मामले में, लाभ उत्पन्न होने की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीने की अवधि के लिए।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4(क) के प्रयोजनार्थ किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का तात्पर्य है:

- (क) सिंगापुर के मामले में, सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड, सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड और द सेंट्रल डिपॉजिटरी (प्रा.) लिमिटेड द्वारा प्रचालित प्रतिभूति बाजार; और
- (ख) भारत के मामले में, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई स्टॉक एक्सचेंज।

स्पष्टीकरण: विधिक हस्तियों के मामलों को, जिनके प्रामाणिक कारोबारी कार्यकलाप नहीं हैं, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में शामिल किया जाएगा।”

अनुच्छेद 4

2005 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, 3, 5 और 6 को 1 अप्रैल, 2017 के प्रभाव से विलोपित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 5

करार को अनुच्छेद 28 के बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 28क

विविध

यह करार किसी संविदाकारी राज्य को कर अपवंचन अथवा कर परिहार की रोकथाम सम्बंधी इसके घरेलू कानून और उपायों को लागू करने से नहीं रोकेगा।”

अनुच्छेद 6

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करेगा तथा ऐसी प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह प्रोटोकॉल अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा। यदि यह प्रोटोकॉल उपर्युक्त अधिसूचनाओं के लंबित रहने के कारण 31 मार्च, 2017 को प्रवृत्त नहीं होता, तो यह प्रोटोकॉल 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 7

यह प्रोटोकॉल जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा तथा तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह करार प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में दिसम्बर, 2016 के 30 वें दिन अंग्रेजी और हिन्दी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। दोनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

(सुशील चंद्रा)

अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सिंगापुर गणराज्य की सरकार के लिए

(लिम थुआन कुआन)

भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त।”